भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्यeएवं उद्योग मंत्रालय **तारांकित प्रश्नdसं. *102**

दिनांक 11 फरवरी, 2019 को उत्तार दिये जाने के लिए

निर्यात संवर्धन

*102. श्री राजीव सातवः

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्यों की सहायता करने के लिये कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्यों को क्षेत्र एवं राज्य–वार कुल आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों को शामिल किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने हेतु संभार तंत्र संबंधी बाधाओं को दूर करके उसमें सुधार करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कर में भी छूट के लिये प्रावधान किये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की छूट प्रदान की गई है तथा निर्यात बढ़ाने में उक्त छूट की भूमिका क्या है तथा उक्त छूट का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कौन–सा तंत्र विद्यमान है?

उत्त र

वाणिज्यrएवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

निर्यातों के संवर्धन के संबंध में 11 फरवरी, 2019 के लिए श्री सातव राजीव , श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा पूछा गया लोक सभा का तारॉकित प्रश्न सं. *102 के उत्त र में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): भारत सरकार ने हाल ही में राज्योंoसे निर्यातों में वृद्धि लाने के लिए उचित अवसंरचना का सृजन करने में केन्द्री य और राज्यहसरकार की एजेन्सिं यों को सहायता देने के उद्देश्य से वित्ती वर्ष 2017-18 से एक स्कीम अर्थात "निर्यात हेतु व्याखार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" का शुभारम्भतकिया है। स्कीम निर्यात अवसंरचना की स्थापना और उन्नयन के लिए केन्द्रीय/राज्यभसरकार की स्वाहमित्व वाली एजेन्सिसयों (अथवा उनके द्वारा प्रमुख स्टेक - होल्डिंग् के साथ उनके संयुक्त उपक्रमों) को स्कीम के दिशानिदेर्शों के अनुपालन के अध्यसधीन परियोजना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्की म के दिशानिर्देश http://commerce.gov.in पर उपलब्धह है। अत्यधिक निर्यात लिंकेज जैसे सीमा हाट , भू सीमाशुल्कस्टेशन, गुणवत्ता।जॉच और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, शीत श्रृंखलाओं, व्यापार संवर्धन केन्द्रों, शुष्करबंदरगाहों, निर्यात भण्डारण एवं पैकेजिंग , एसईजेड और पत्तानों/ एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनलों के साथ अवसंरचना परियोजनाओं के लिए राज्योंरद्वारा उनकी एजेन्सियों के जरिये स्कीमि का लाभ प्राप्तो किया जा सकता है।

टीआईईएस स्कीम के तहत, अब तक कुल 24 निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित परियोजनाओं का राज्यवार और वर्षवार विवरण **अनुबंध- I और II** में दिया गया है।

इसके अलावा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए और राज्य में एक व्यापार अनुकूल माहौल का सृजन करने के लिए उपायों पर सभी राज्य सरकारों के साथ संवाद करने के उद्देश्या से, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में व्यापार विकास और संवर्धन परिषद का गठन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों के व्यापार और वाणिज्य मंत्री सदस्य हैं । राज्यों को विदेश व्यापार नीति पर उनके विचारों को व्यक्तवकरने के लिए परिषद की नियमित वार्षिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ग) लॉजिस्टिक्सं में सुधार लाना एक अविरत और सतत प्रक्रिया है । सरकार समीक्षा करती है और लॉजिस्टिक्सवको और अधिक सफल बनाने के लिए अड़चनों को दूर करती है। हाल ही में किए गए कुछ उपाय हैं:-

(I) मई, 2018 में, नौवहन मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों के बीच लोड किये गये या खाली कंटेनरों के परिवहन के लिए पंजीकृत विदेशी जहाजों पर से प्रतिबंध हटा लिया है । इसके परिणामस्विरूप देश में कंटेनर व्यापार मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है।

(ii) 'सागर माला' और 'भारत माला' कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार की उम्मीद है।

(iii) इसके अलावा कोल्ड चेन, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आदि को इंफ्रास्ट्रक्चर सब-सेक्टर की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल किया गया है और नवंबर 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है । यह क्षेत्र को बढ़ी हुई सीमाओं के साथ अवसंरचना उधार लेने, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के रूप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त करने और बीमा कंपनियों से लंबी अवधि के लिए धन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा ।

(घ) और (ङ.) जी हां, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत प्रावधान किए गए हैं और निर्यातकों को छूट प्रदान करने के लिए उसके तहत नियम बनाए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि छूट के प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, कानून में उपयुक्त सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। निर्यातकों को शुल्क में छूट का उद्देश्य हमारे निर्यात को शून्य दर्जा देना है और इसलिए निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान छूट का मूल्य नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	वर्ष	स्वीकृत शुल्क की छूट (लाख रूपये में)
1	2015-16	24,39,441
2	2016-17	21,28,806
3	2017-18	16,54,488

स्रोत: सीबीआईसी, राजस्व विभाग

अनुबंध- I

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान टीआईईएस के तहत अनुमोदित परियोजना

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित टीआईईएस निधि	जारी की गई राशि
1	कर्नाटक	कर्नाटक मत्स्य विकास निगम (केएफडीसी), कर्नाटक सरकार	तडाडी, कुमता तालुक, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक में समुद्री निर्यात के लिए बुनियादी सुविधा का आधुनिकीकरण	13.34	5.00	2.00
2		विश्वेश्वरैया व्यापार संवर्धन केन्द्रि (वीटीपीसी), बेंगलुरु, कर्नाटक सरकार	'तटीय काजू अनुसंधान और विकास फाउंडेशन, कुमता की स्थापना'", जिला उत्तरा कन्नड़, कर्नाटक	9.55	3.31	1.00
3		कॉफी बोर्ड	कॉफ़ी क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन, बैंगलोर, कर्नाटक के लिए 'प्रयोगशाला इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	11.40	5.70	2.85
			कुल (कर्नाटक)			**5.85**
4	केरल	कोचीन सेज	कोचीन एसईजेड, केरल में एसडीएफ भवन का निर्माण	61.63	20.00	6.50
			कुल (केरल)			**6.50**
5	मणिपुर	भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई)	इंफाल, मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल (आईसीटी) की स्थापना	16.20	11.92	6.00
			कुल (मणिपुर)			**6.00**
6	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मेड टेक ज़ोन लिमिटेड (एएमटीजेड)	एएमटीजेड, आंध्र प्रदेश में आम वैज्ञानिक सुविधाएं	168.87	40.00	4.00
7		निर्यात निरीक्षण परिषद	विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में निर्यात निरीक्षण एजेंसी के कार्यालय सह प्रयोगशाला परिसर का निर्माण	16.52	8.15	4.15
			कुल (आंध्र प्रदेश)			**8.15**
8	तमिलनाडु	एचएलएल मेडिपार्क लि	तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के	21.07	9.56	4.78

			लिए ईएमआई / ईएमसी लैब की स्थापना			
9		तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (टीएनटीपीओ)	चेन्नई ट्रेड सेंटर, तमिलनाडु का विस्तार	288.16	20.00	10.00
			कुल (तमिलनाडु)			**14.78**
10 (I)	मध्य प्रदेश	मप्र राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्यस्प्रदेश सरकार	मिंटो हॉल, भोपाल में व्यापार संवर्धन केंद्र की स्थापना '	49.39	17.67	9.00 (1 ली किस्त)
10 (ii)						8.67 (2 री किस्तध
11		एमपी औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर), लिमिटेड	पीथमपुर, सेज फेज II, मध्य प्रदेश में कोल्ड चेन की स्थापना	32.16	16.08	8.04।
			कुल (मध्य प्रदेश)			**25.71**
12	उत्तर प्रदेश	नोएडा सेज प्राधिकरण	नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना	4.25	2.13	1.07
			कुल (उत्तर प्रदेश)			**1.07**
13	महाराष्ट्र	निर्यात निरीक्षण परिषद	विभिन्न खाद्य उत्पादों की उत्पत्ति और प्रामाणिकता के विश्लेषण के लिए सुविधा की स्थापना, मुंबई	8.10	3.04	1.52
			कुल (महाराष्ट्र)			**1.52**
14	त्रिपुरा	त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लि	एलसीएस मुहुरीघाट, बेलोनिया, दक्षिण त्रिपुरा में बुनियादी ढांचे का उन्नयन	16.85	12.29	6.15
			कुल (त्रिपुरा)			**6.15**
15	पश्चिम बंगाल	लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया	एकीकृत चेक पोस्ट पेट्रापोल का विकास: अतिरिक्त ट्रक पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव ', पश्चिम बंगाल	32.24	13.66	4.27 (1 ली किश्त का 1 ला अंश)
			कुल (पश्चिम बंगाल)			**4.27**
		कुल (वित्त 2017-18)				**रुपये 80 करोड़**

अनुबंध- II

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान टीआईईएस के तहत अनुमोदित परियोजना (11.02.2019 के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	एजेंसी का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	अनुमोदित टीआईईएस निधि	जारी की गई राशि / स्वीकृत
1	पश्चिम बंगाल	लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया	एकीकृत चेक पोस्ट पेट्रापोल का विकास: अतिरिक्त ट्रक पार्किंग के निर्माण का प्रस्ताव ', पश्चिम बंगाल	32.24	13.66	2.56 (1 ली किस्त का 2 रा अंश)
			कुल (पश्चिम बंगाल)			2.56
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन लिमिटेड (एएमटीजेड)	एएमटीजेड, आंध्र प्रदेश में आम वैज्ञानिक सुविधाएं	168.87	40.00	9.0 (2री किस्त)
						9.0 (3 री किस्त)
			कुल (आंध्र प्रदेश)			18.00
3	तमिलनाडु	मद्रास ईपीजेड एसईजेड	मद्रास ईपीजेड एसईजेड में 1 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का पुनरुद्धार	2.81	1.25	0.63
4		मद्रास ईपीजेड एसईजेड	मद्रास ईपीजेड एसईजेड में 2.5 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण	11.63	5.17	2.59
5		चमड़ा निर्यात परिषद	रानीटेक सीईटीपी परियोजना, तमिलनाडु का उन्नयन	17.73	4.43	4.43
6		एआरएसटीपीएस-सीआईपीईटी	ऑटोमोबाइल, एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग क्लस्टर्स, चेन्नई के लिए डिजाइन, प्रोटोटाइप और उपकरण कक्ष हेतु सामान्य सुविधाएं केंद्र	32.00	16.00	8.00
			कुल (तमिलनाडु)			15.65
7	केरल	कोचीन सेज	कोचीन एसईजेड, केरल में एसडीएफ भवन का निर्माण	61.63	20.00	6.50 (2 री किस्त)
			कुल (केरल)			6.50
8	दिल्ली	सीएसआईआर-	सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल	32.55	16.27	8.00

		एनपीएल	का उत्पादन - भारतीय निर्देशक द्रव्य (बीएनडी), दिल्ली			
			कुल (दिल्ली)			8.00
9	मणिपुर	एमएएनआईडीसीओ, मणिपुर सरकार	व्यापार सह स्थायी प्रदर्शनी केंद्र, इंफाल , मणिपुर में मुख्य प्रदर्शनी भवन (द्वितीय चरण) की स्थापना	15.86	11.26	5.63
			कुल (मणिपुर)			5.63
10	राजस्थान	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)	जयपुर में रत्न, मोती और हीरे के लिए अग्रिम परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना	5.44	2.72	2.72
1 1		आरएसआईसी, राजस्थान सरकार	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, जयपुर का उन्नयन / आधुनिकीकरण	0.6962	0.3481	0.3481
			कुल (राजस्थान)			3.0681
12	चंडीगढ़	सीएचआईएएल, चंडीगढ़	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो की स्थापना	11.99	5.63	2.81
			कुल (चंडीगढ़)			2.81
13	कर्नाटक	कॉफी बोर्ड	कॉफ़ी क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन, बैंगलोर, कर्नाटक के लिए 'प्रयोगशाला इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना	11.40	5.70	2.85 (2री किस्त)
			कुल (कर्नाटक)			2.85
			पीएमए व्यय			0.767
			कुल (वित्त वर्ष 2018-19 आज तक)			रुपये 65.8351 करोड़

******